उत्तर प्रदेश शासन,
राजस्व अनुभाग-13
संख्या-6/2018/208/एक-13-2018-5क(25)/2013टी0सी0
लखनऊ:दिनांक 13 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 अधिनियम संख्या 10 सन् 1897 की धारा-21 के साथ पठित भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (झ) के उपखण्ड ;छद्ध के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-1147/एक-13-2017-5क(25)2013टी0सी0 दिनांक 05 जनवरी, 2018 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित रूप में प्रशासनिक व्यय विनिर्दिष्ट करते है-

क्रम संख्या	भूमि अर्जन मद	प्रशासनिक व्यय (कुल प्रतिकर रकम का प्रतिशत)
1	अर्जन इकाइयों के अधिष्ठान के सापेक्ष उपगत व्यय में वेतन, भत्ते, अवकाश-वेतन, पेंशन उपादान और समस्त अन्य सुसंगत व्यय सम्मिलित हैं।	प्रतिकर लागत का 2.50 प्रतिशत।
2	अर्जन के प्रारम्भिक प्रक्रमों में अभिलेखों की तैयारी, प्रारम्भिक स्थलीय निरीक्षणों और अन्य कार्यों के सापेक्ष उपगत व्यय और प्रक्रियागत ऐसे व्यय, जहॉ यथास्थिति प्रभावित कुटुम्ब की सहमति प्राप्त की जानी हो अथवा न प्राप्त की जानी हो।	भूमि अर्जन अधिष्ठान इकाई पर वास्तविक व्यय।
3	भूमि से सम्बद्ध परिसम्पत्तियों, फसलों एवं बृक्षों आदि के मूल्यांकन हेतु लगाये जाने वाले निजी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों यथा सेवानिवृत्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, क्षेत्राधिकारी, सर्वेयर या अभियन्तागण, उद्यान अधिकारी, वन अधिकारी, सहायकगण, कम्प्यूटर आपरेटर, फील्ड अभियन्ता, चालक और चपरासियों आदि के मानदेय के सापेक्ष उपगत व्यय।	
4	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी तत्वों के सर्वेक्षण के सापेक्ष उपगत व्यय और मानदेय सहित अन्य प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	समस्त अधिसूचनाओं (सरकारी गजट, दो दैनिक समाचार पत्रों में, वेवसाइट पर अपलोड करके और सूचना पट्ट पर) के प्रकाशन के सापेक्ष उपगत अन्य समस्त व्यय और मानदेय सहित विज्ञापन, मुद्रण और लेखन सामग्री पर व्यय।	

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan

Rajaswa Anubhag-13

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.208/I-13-2017-5ka(25)-2013T.C., dated 13 April, 2018.

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 6/2018/208/I-13-2017-5ka(25)-2013T.C.

Dated : Lucknow 13 April, 2018

In exercise of the powers under sub-clause (vi)of clause (i) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of Government notification no.1147/I-13-2017-5ka(25)-2013TC, dated 05 January, 2018 , the Governor is pleased to specify the administrative cost as follows:-

Sl. No.	Land Acquisition Item	Administrative Cost (Percentage of total amount Compensation)
1.	Expenditure incurred towards establishment of acquisition units. Includes pay, allowances, leave, pay, pension, gratuity and all other relevant expenses.	2.50 percent on total compensation cost.
2.	Expenditure incurred towards preparation of records, preliminary spot inspections and other works in the preliminary stages of acquisition, expenses on the process where consent of affected family has to be obtained or not to be obtained, as the case may.	Real Expendiditure on Land Acquisition Establishment Unit.
3.	Expenditure incurred towards the honorarium	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	of private or retired government employees such as retired tehsildar, naib tehsildar revenue inspector, lekhpal, circle officer, surveyor, engineers, horticulture officer, forest officer, assistants, Computer operator, field engineer, driver and peons etc. to be engaged for the evaluation of assets, crops and trees etc. attached to the land.	
4.	Expenditure incurred towards survey of rehabilitation and resettlement elements and reimbursement of other administrative expenses including honorarium.	
5.	All other expenditure incurred towards publication of all notification (in official Gazette, two daily news papers upload on webside and on notice board) and expenses over advertisement, printing and stationary including honorarium.	

By Order
Suresh Chandra
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।